रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940
No. 616] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एमआरटीएस-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 837 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेट्रो रेल (वहन और टिकट) संशोधन नियम, 2018 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 में नियम 6 के परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. के-14011/8/2018-एमआरटीएस-II]
मुकुंद कुमार सिन्हा, ओएसडी (यूटी) और पदेन संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 899(अ) तारीख दिनांक 16 दिसंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(MRTS-II)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

G.S.R. 837(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Metro RailwayL (Carriage and Ticket) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Metro Railway (Carriage and Ticket) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2**.** In the Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2014, the proviso to rules 6 shall be omitted.

[F. No. K-14011/8/2018-MRTS-II]

MUKUND KUMAR SINHA, OSD (UT) and Ex-Officio Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 899(E), dated the 16th December, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 838(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बंगलौर मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2011 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिपत नाम बंगलौर मेट्रो रेल (वहन और टिकट) संशोधन नियम, 2018 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. बंगलौर मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2011 में नियम 6 के परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. के-14011/8/2018-एमआरटीएस- II]

मुकुंद कुमार सिन्हा, ओएसडी (यूटी) और पदेन संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 402(अ) तारीख दिनांक 25 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

G.S.R. 838(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Bangalore Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Bangalore Metro Railway (Carriage and Ticket) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2**.** In the Bangalore Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2011, the proviso to rules 6 shall be omitted.

[F. No. K-14011/8/2018-MRTS-II]

MUKUND KUMAR SINHA, OSD (UT) and Ex-Officio Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R.. 402(E), dated the 25th May, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 839(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चेन्नई मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

IndiaCode

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चेन्नई मेट्रो रेल (वहन और टिकट) संशोधन नियम, 2018 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. चेन्नई मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 में नियम 7 के परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. के-14011/8/2018-एमआरटीएस- II]

मुकुंद कुमार सिन्हा, ओएसडी (यूटी) और पदेन संयुक्त सचिव,

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 758(अ) तारीख दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

G.S.R. 839(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Chennai Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Chennai Metro Railway (Carriage and Ticket) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2**.** In the Chennai Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2014, the proviso to rules 7 shall be omitted.

[F. No. K-14011/8/2018-MRTS-II]

MUKUND KUMAR SINHA, OSD (UT) and Ex-Officio Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 758(E), dated the 28th October, 2014.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.09.06 22:32:26 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.